भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5480
(दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का संशोधन

5480. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान मार्च , 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत भुगतान की गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मजदूरी की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त योजना के तहत दिया जाने वाला पारिश्रमिक कई राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही मनरेगा मजदूरी की दर और खेतिहार मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मनरेगा कामगारों की वर्तमान मजदूरी में वृद्धि की बहुत अधिक मांग की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त मजदूरी में संशोधन करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत मजदूरी घटक के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (ड.): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने इच्छुक हैं , उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान करता है। **यह आजीविका सुरक्षा**

अर्थात जब ग्रामीण परिवारों के पास आजीविका के लिए रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं उपलब्ध होता है उस समय यह रोजगार के विकल्प प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6 (1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीति की भरपाई करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। यदि किसी राज्य की गणना की गई मजदूरी दर विगत वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर से कम बन रही है तो विगत वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर को यथावत रखते हुए इसको संरक्षित किया जा रहा है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू की जाती है। तथापि, राज्य सरकारें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दे सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अकुशल कामगारों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 5480 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-I

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के संबंध में जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	188.40	3222.62	4429.91	4510.63	6273.13
2	अरुणाचल प्रदेश	92.10	134.98	127.37	84.81	224.89
3	असम	930.21	801.38	926.18	1222.02	2154.95
4	बिहार	1169.88	1941.04	2100.94	2305.56	4756.87
5	छत्तीसगढ़	264.21	1630.23	2412.78	2033.52	3362.94
6	गुजरात	69.83	602.88	736.03	565.32	1066.02
7	हरियाणा	213.04	254.54	216.75	242.58	600.89
8	हिमाचल प्रदेश	104.12	434.80	529.15	423.71	736.75
9	जम्मू कश्मीर	381.83	620.28	521.11	691.02	810.49
10	झारखंड	288.69	1014.49	970.75	945.79	2399.42
11	कर्नाटक	1305.32	2112.39	1807.27	2690.96	4251.44
12	केरल	1386.71	1652.04	2037.31	3173.83	3356.22
13	मध्य प्रदेश	617.51	2667.50	2997.72	3495.46	6419.71
14	महाराष्ट्र	162.60	1265.07	1455.58	1098.01	1351.62
15	मणिपुर	233.13	114.56	178.34	252.08	596.26
16	मेघालय	511.79	314.55	568.27	602.69	974.97
17	मिजोरम	125.44	27.11	345.49	469.54	501.75
18	नागालैंड	429.95	583.71	150.16	414.50	263.61
19	ओडिशा	1328.55	1583.85	1569.93	1604.74	4219.20
20	पंजाब	403.01	478.16	460.47	603.02	1021.25
21	राजस्थान	3171.54	3189.65	3787.24	5158.53	8097.76
22	सिक्किम	82.96	14.55	69.41	56.56	80.75
23	तमिलनाडु	1346.33	5248.20	3746.82	4503.88	6958.79
24	तेलंगाना	200.94	1859.56	1832.59	1693.05	2634.34
25	त्रिपुरा	660.14	277.94	394.17	579.41	904.40
26	उत्तर प्रदेश	3123.18	2708.30	4093.08	4337.60	7817.58
27	उत्तराखंड	370.33	508.47	414.40	306.85	713.17
28	पश्चिम बंगाल	1331.94	4346.87	5477.14	6215.73	9397.68
29	अण्डमान और निकोबार	0.90	4.46	4.34	3.09	5.81
30	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	लक्षद्वीप	0.00	0.14	0.22	0.90	0.50
32	पुदुचेरी	0.27	12.69	13.91	13.55	24.44
33	लद्दाख*	*	*	*	*	22.49
34	गोवा	0.29	0.23	0.26	0.85	2.34
	कुल	**20,495.14**	**39,627.26**	**44,375.10**	**50,299.81**	**82,002.45**

* लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था (एमआईएस के अनुसार)

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 5480 के उत्तर के भाग (ख) से (ड.) में उल्लिखित अनुबंध-।।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल कामगारों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व.2021-22	वि.व. 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	245	257
2	अरुणाचल प्रदेश	212	216
3	असम	224	229
4	बिहार	198	210
5	छत्तीसगढ़	193	204
6	गुजरात	229	239
7	हरियाणा	315	331
8	हिमाचल प्रदेश - गैर अनुसूचित क्षेत्र	203	212
8क	हिमाचल प्रदेश - अनुसूचित क्षेत्र	254	266
9	जम्मू और कश्मीर	214	227
10	लद्दाख	214	227
11	झारखंड	198	210
12	कर्नाटक	289	309
13	केरल	291	311
14	मध्य प्रदेश	193	204
15	महाराष्ट्र	248	256
16	मणिपुरी	251	251
17	मेघालय	226	230
18	मिजोरम	233	233
19	नागालैंड	212	216
20	ओडिशा	215	222
21	पंजाब	269	282
22	राजस्थान	221	231
23	सिक्किम	212	222
23a	सिक्किम (3 ग्राम पंचायत नामतः ज्ञानथांग, लाचुंग, लाचेन)	318	333
24	तमिलनाडु	273	281
25	त्रिपुरा	212	212
26	उत्तर प्रदेश	204	213
27	उत्तराखंड	204	213
28	पश्चिम बंगाल	213	223
29	गोवा	294	315
30	अंडमान और निकोबारी		
30क	अंडमानं	279	292
30ख	निकोबारी	294	308
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	269	278
32	लक्षद्वीप	266	284
33	पुदुचेरी	273	281
34	तेलंगाना	245	257

*****